**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1675

उत्‍तर देने की तारीख: 27.12.2018

**ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहन**

**1675. डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धेः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में, मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही शिक्षा प्रोत्साहन संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उनके कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कुछ राज्य इनके क्रियान्वयन में पिछड़ रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके क्रियान्वयन में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क): समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना को 2018-19 से केंद्रीय प्रायोजित योजना के तौर पर शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तत्कालीन 3 केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं अर्थात सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा (टीई) को शामिल किया गया है। यह एक व्‍यापक कार्यक्रम है जिसके तहत शिक्षा क्षेत्र का प्री-स्कूल से कक्षा 12 तक विस्तार किया गया है और इसका उद्देश्‍य स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर समावेशी और समान गुणवत्‍तायुक्‍त शिक्षा सुनिश्चित करना है। राज्‍य/संघ राज्‍यक्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा इस बावत सहायता दी जाती है कि वे सार्वभौमिक पहुंच और बच्‍चों को बनाए रखने के लिए समग्र शिक्षा का कार्यान्‍वयन करें, शिक्षा में महिला-पुरूष और सामाजिक वर्ग अंतरालों को पाटें और स्‍कूल शिक्षा के सभी स्‍तरों पर बच्‍चों के अधिगम स्‍तर को सुधारें।

समग्र शिक्षा की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

1. पुस्‍तकालयों के सशक्तिकरण के लिए 5,000 रूपये से 20,000 रूपये प्रति स्‍कूल का वार्षिक अनुदान।
2. कंपोजिट स्‍कूल अनुदान 14,500 - 50,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपये-1 लाख तक किया गया और इसका आवंटन स्‍कूल नामांकन के आधार पर किया जाना है।
3. प्राथमिक स्‍कूलों के लिए 5000 रूपये, उच्‍चतर प्राथमिक स्‍कूलों के लिए 10,000 रूपये और माध्‍यमिक और वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍कूलों के लिए 25,000 रूपये की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान।
4. विशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों के लिए आवंटन को प्रतिवर्ष प्रति बच्‍चा 3,000 रूपये से बढ़कर 3,500 रूपये कर दिया गया है जिसमें सीडब्‍लूएसएन बालिकाओं को कक्षा– I से XII तक दिए जाने वाले 200 रूपये प्रति माह का वजीफा शामिल है - पहले यह केवल कक्षा–IX से XII तक के लिए था।
5. वर्दी के लिए आवंटन को 400 से बढ़ाकर 600 रूपये प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष कर दिया गया है।
6. पाठ्यपुस्‍तकों के लिए आवंटन को 150/250 से बढ़ाकर 250/400 रूपये प्रति बच्‍चा प्रति वर्ष तक दिया गया है।
7. कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक स्‍तरोन्‍नयन।
8. सेवाकालीन और सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल संस्‍थान के रूप में एससीईआरटी के शिक्षकों की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए एससीईआरटी और डीआईईटी जैसी अध्‍यापक शिक्षा संस्‍थाओं का सशक्तिकरण।
9. स्‍मार्ट कक्षाओं, डिजिटल बोर्डों और डीटीएच चैनलों के माध्‍यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग।

(ख): वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किए जाने से, 3.64 लाख नए प्रारंभिक विद्यालय खोलने, 3,12,747 विद्यालय भवनों और 18,89,689 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण, 2,40,564 पेयजल सुविधाओं, 10,63,164 स्‍कूल शौचालयों को मंजूरी दी गई है। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने 30.09.2018 तक 3.59 लाख नए प्रारंभिक स्‍कूल खोले हैं, 2,95,382 स्‍कूल भवन, 18,08,452 अतिरिक्‍त कक्षा-कक्ष, 2,33,956 पेयजल सुविधाएं और 10,11,518 शौचालय निर्मित कर लिए गए हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, 2017-18 तक कुल 12682 विद्यालय अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 12033 विद्यालय कार्यात्मक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 तक मौजूदा माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 50713 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 26260 विज्ञान प्रयोगशाला, 19076 कंप्यूटर कक्षों, 25597 पुस्तकालय कक्षों और 30092 कला/शिल्प कक्षों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, और इनमें से 36695 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 19092 विज्ञान प्रयोगशालाओं, 13628 कंप्यूटर कक्षों, 19013 पुस्तकालय कक्षों और 21143 कला/शिल्प कक्षों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्‍त, विशेषकर एससी, एसटी, अन्‍य पिछड़ी जाति और अल्‍पसंख्‍यक समुदाय से संबंधित बालिकाओं के लिए कस्‍तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) ने देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्‍लॉकों में बालिका शिक्षा के लक्ष्‍य को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। तदनुसार, वर्ष 2017-18 तक एसएसए के तहत 3703 केजीबीवी स्‍वीकृत किए गए हैं।

(ग): मंत्रालय योजनाओं के कार्यान्‍वयन के आधार पर राज्‍यों/संघ राज्‍यक्षेत्रों को रैंक प्रदान नहीं करता है। तथापि, राज्‍यों और संघ राज्‍यक्षेत्रों के साथ योजनाओं के कार्यान्‍वयन की आवधिक समीक्षा और मॉनीटरिंग की जाती है।

**\*\*\*\*\***